२९५

पत्रांकः 04/NULM-35/2016/............../न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

विषयः—दीनदयाल अन्त्योदय—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अन्तर्गत नगर निकाय स्तर पर शहरी समृद्वि उत्सव के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः—विभागीय पत्रांक 149, 150, 151, 152 दिनांक 16.01.2018 एवं पत्रांक 243 दिनांक 25.01.2019

पटना, दिनांक २९/०१/१९

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशानुसार नगर निकाय एवं राज्य स्तर पर फरवरी माह के प्रथम पखवाड़ा में शहरी समृद्वि उत्सव आयोजित किया जाना है। इस हेतु प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विस्तृत दिशा—निर्देश एवं शहरी समृद्वि उत्सव को आयोजित करने हेतु तिथिवार रोस्टर उपलब्ध करायी जा चुकी है।

वर्णित कार्यक्रम के दौरान होने वाला व्यय DAY-NULM के IEC मद से किया जाय। इस हेतु पटना नगर निगम अधिकतम 1 लाख, शेष नगर निगम अधिकतम 50 हजार, सभी नगर परिषद अधिकतम 35 हजार एवं नगर पंचायत अधिकतम 20 हजार रूपया, का व्यय कर सकता है। IEC घटक में राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में DAY-NULM योजना के अधीन उपलब्ध अन्य घटकों की राशि से तत्काल व्यय किया जाय। विभाग द्वारा शीघ्र इस मद में राशि विमुक्त किया जायेगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि प्रासांगिक पत्र के द्वारा निर्गत रोस्टर में निर्धारित तिथि को शहरी समृद्वि उत्सव का आयोजन किया जाय एवं कार्यक्रम की पूर्ण प्रतिवेदन फोटोग्राफ/विडियोग्राफी की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी के साथ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

29/1/2019

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग